hans

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06, जनपद-कानपुर देहात।			
सत्र वाद सं०-192/2025			
राज्य	**बनाम**	सैयंश उर्फ छोटू आदि	
नाम साक्षीः	डा० मनोज कुमार निगम पुत्र स्व० श्री कृष्ण कुमार निगम	**अपराध सं०ः**	455/2024
उम्र साक्षीः	लगभग 58 वर्ष	**अन्तर्गत धाराः**	80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
पेशा साक्षीः	चिकित्सक	**थानाः**	रसूलाबाद
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः	जिला चिकित्सालय पुरूष, अकबरपुर जनपद-कानपुर देहात		

<u>दिनांकः-16.01.2026</u>

मैं **साक्षीः** डा० मनोज कुमार निगम पुत्र स्व० श्री कृष्ण कुमार निगम**, उम्रः लगभग 58 वर्ष, पेशाः** चिकित्सक**, साक्षी वर्तमान तैनाती का पताः** जिला चिकित्सालय पुरूष, अकबरपुर जनपद-कानपुर देहात यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 01.11.2024 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस अकबरपुर, कानपुर देहात में थी। उसी दिन मृतका प्रियंका पत्नी सैयंश, उम्र लगभग 22 वर्ष निवासिनी मनौरापुर, थाना रसूलाबाद का शव हेड का० सुनील कुमार व महिला कां० हिमांशी थाना रसूलाबाद द्वारा मेरे पास समय 2:30PM बजे पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था।

2. मृतका के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 01.11.2024 समय दिन 02:40 PM पर पैनल द्वारा शुरू की गयी थी। पोस्टमार्टम की कार्यवाही में मेरे साथ मो० सिद्धकी भी थे। हम दोनों ने मिलकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की थी। मृतका का शरीर कद-काठी औसत था। मृतका की लम्बाई 162 CM थी। मृतका के शरीर के निचले एवं ऊपरी भाग में मृत्यु पश्चात अकड़न मौजूद थी। पी०एम० स्टैनिंग शरीर के उभरे हुए पिछले हिस्से, जांघों व पुट्ठो में मौजूद थी। मृतका की दोनों आंखे व मुंह अधखुला था। जीभ बाहर निकली थी।

3. **<u>मृत्यु पूर्व चोटेंः-</u>**

I. गले में Circumference 30 cm एवं गले के दाहिने तरफ से 7cm का था।
ligature Mark की चौडाई 3cm.
जो कि ढुड्डी से 6cm से नीचे की तरफ
Right Tragus से 5cm नीचे
Left Tragus से 8.5cm नीचे मौजूद थी।
ligature Mark को काटने पर उसके नीचे का Subcutaneous tissue white glistening मौजूद था।

4. **<u>आन्तरिक परीक्षणः-</u>**

मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियाँ कन्जेस्टेड थी। दांत 16/16 थे। ब्रेन कन्जेस्टेड था। दोनो फेफड़े, Larynx, trachea कन्जेस्टेड थे। Hyoid Bone intect थी। हृदय का दाहिनी चेम्बर फुल था और बांयां चैम्बर खाली था। अमाशय में 100 Gram अधपचा भोजन मौजूद था। लीवर, तिल्ली, पैन्क्रियाज व दोनों किडनी कन्जेस्टेड थी। गालब्लेडर आधा भरा था। छोटी आंत आधी गैस से भरी थी और बड़ी आंत में गैस व मल मौजूद था। मुत्राशय खाली था। गर्भाशय खाली था।

5. **<u>अभिमतः-</u>**

मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से लगभग एक दिन के अन्दर की थी। मृतका की मृत्यु का कारण दम घुटना था, जो कि Anti mortam Hanging के कारण था। जो कि मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।

6. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट डा०सिद्धकी व मेरे द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की गयी थी। जिस पर डा०सिद्धकी व मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-4</u>** अंकित किया गया।

7. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतका का शव, इन्क्वेस्ट पेपर व कपड़े व हेड का० सुनील कमार व महिला का० हिमांशी थाना रसूलाबाद को सुपुर्द कर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे।

8. विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा समस्त अभियुक्तगण

9- शव की शिनाख्त मेरे द्वारा हे०का० 133 सुनील कुमार महिला का० 968 हिमांशी एवं मृतका के आये हुआ परिजन से करायी गयी थी। परिजन के नाम

मुझे नहीं मालूम। नाम मैंने पूछा था न ही उन्होंने बताया था। सामने आने पर मैं उन्हें पहचान भी नहीं सकता। का० को भी मैं शक्ल से नहीं पहचान सकता।

10. मेरे द्वारा प्रदर्श क 4 के कालम संख्या 4 को पढ़ा गया तथा उसका अनुपानल भी किया गया। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा कॉलम संख्या 4 में किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लिखा गया।

11. मृतका के शरीर पर गले में लिगेचर मार्क के अलावा कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।